मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/29 पार्ट/212 भोपाल, दिनांक 22/04/2019

प्रति,

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ---------(समस्त)

2. कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकि संभाग भोपाल संभाग कमांक–02/भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर /ग्वालियर /सागर /रीवा /होशंगाबाद /सिवनी /मुरैना/खरगोन/मंदसोर।

3. अध्यक्ष/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
--------- जिला---------

4. शाखा प्रबंधक,
म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
मुख्यालय टी. टी. नगर भोपाल

विषय :– म. प्र. राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के पेंशनरों को पेंशन महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :– म. प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 9–5/2017/नियम/चार दिनांक 11 अप्रेल 2019

--00--

म. प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 9–5/2017/नियम/चार दिनांक 11 अप्रेल 2019 द्वारा पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। (छायाप्रति संलग्न है) 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय है।

राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 49 (1) के अन्तर्गत म. प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 9–5/2017/नियम/चार दिनांक 11 अप्रेल 2019 में उल्लेखित शर्तो और प्रतिबंधों के अधीन राज्य मण्डी बोर्ड सेवा तथा कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी निम्नानुसार महंगाई राहत भुगतान की स्वीकृति दी जाती है :–

सरल कमांक	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्वि की दर (प्रतिशत में)		वृद्वि के परिणामस्वरूप महंगाई राहत में वृद्वि की दर (प्रतिशत में)	
		छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान*
01	दिनांक 01 जनवरी 2018 से (माह जनवरी, 2018 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी 2018 में देय होगी)	3	2	142	7
02	दिनांक 01 जुलाई 2018 से (माह जुलाई , 2018 की पेंशन/परिवार पेंशन जो अगस्त 2018 में देय होगी)	6	2	148	9

* राज्य शासन के आदेश अंतर्गत पेंशनर्स का सातवें वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रेल 2018 से प्रभावशील है। अतः 01 जनवरी 2018 से मार्च 2018 की अवधि के लिये छटवें वेतनमान एवं अप्रेल 2018 से सातवें वेतनमान अनुसार निर्धारित दर से महंगाई राहत देय होगी।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/29 पार्ट/213 भोपाल, दिनांक22/04/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर।
2. अपर संचालक (वित्त) मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
4. उप संचालक (वित्त)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. आडिट/पेंशन/मंडी कार्मिक/लेखा शाखा मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

अपर संचालक (कार्मिक)
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक एफ–9–5/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :– मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

***

वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ–9–6/2018/नियम/चार दिनांक 04 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2017 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 139 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन कें पेंशनर/परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत की दरों में कमशः 01 जनवरी, 2018 एवं 01 जुलाई 2018 से निम्नानुसार वृद्वि करने पर राज्य शासन द्वारा सहर्ष स्वीकृति दी गई है :–

सरल कमांक	अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्वि की दर (प्रतिशत में)		वृद्वि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत की दर (प्रतिशत में)	
		छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान*
1.	दिनांक 01 जनवरी 2018 से (माह जनवरी, 2018 की पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी 2018 में देय होगी)	3	2	142	7
2.	दिनांक 01 जुलाई 2018 से (माह जुलाई, 2018 की पेंशन/ परिवार पेंशन जो अगस्त, 2018 में देय होगी)	6	2	148	9

* राज्य शासन के आदेश अंतर्गत पेंशनर्स का सातवें वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण दिनांक 01 अप्रैल 2018 से प्रभावशील है। अतः 01 जनवरी 2018 से मार्च 2018 की अवधि के लिये छटवें वेतनमान एवं अप्रैल 2018 से सातवें वेतनमान अनुसार निर्धारित दर से मंहगाई राहत देय होगी।

Rule-358

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत, अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवा निवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid), तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरो को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ.बी.6/43/76 /नियम–2 दिनांक 5–10–76 के प्रतिबंधो के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होगे, जिन्होने उपकमों /स्वशासी संस्थाओं/मण्डलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5–1–2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये है।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क.ई–4/1–83/नि–5/चार, दिनांक 29 जनवरी,1983 तथा मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग–1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत राहत का शीघ्र भुगतान करे । संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करे तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करे।

8/ भारत निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक 437/6/म.प्र/लो.स./2019/एम.सी.सी.संदर्भ दिनांक 10 अप्रैल 2019 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग